संख्या: 6/2026/966/ई-1/तेरह-2026-1703489/2023

प्रेषक,

दयाराम,

उप सचिव,

उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक: 14 जुलाई, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग के लिये प्राविधानित धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी.-23/एक-4/बजट अनुमान/आबकारी/2026-27, दिनांक 08.07.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-352/दस-2026-231/ 2026, दिनांक 28.03.2026 में निहित प्राविधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आबकारी विभाग के अनुदान संख्या-01 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत संगत लेखा शीर्षकों में प्राविधानित धनराशि रु. 5,00,00,000.00 (रूपये पांच करोड़ मात्र) (पूंजीगत मद मतदेय) फॉटवार विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर निम्नवत रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान संख्या-001		
लेखा शीर्षक/उप मद		
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय **001- कार्यालय भवन** **051- निर्माण** **03- आबकारी विभाग के कार्यालय एवं गोदामों के निमार्ण हेतु एकमुश्त व्यवस्था**	**आय-व्ययक प्राविधान (2026-2027) (धनराशि रू. में)**	**आवंटित की जाने वाली धनराशि (धनराशि रू. में)**
25- लघु निर्माण कार्य	5,00,00,000	5,00,00,000
योग-03	5,00,00,000	5,00,00,000
योग-0051	5,00,00,000	5,00,00,000
योग-01	5,00,00,000	5,00,00,000
योग-4059(पूंजीगत मद मतदेय)	**5,00,00,000**	**5,00,00,000**

(1) उक्त मदवार धनराशि को व्यय करने में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-352/ दस-2026-231/ 2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये निर्देशों एवं समय-समय पर सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपरोक्तानुसार प्राविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) यदि किसी व्यय के लिये शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाय, तो संदर्भित व्यय के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्षक का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाये।

(4) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/ विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित् करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि तत्काल अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित कर उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाये।

(5) आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 एवं शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-352/ दस-2026-231/ 2026, दिनांक 28.03.2026 के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय फाइनेंशियल हैण्डबुक व वित्तीय नियम संग्रह एवं अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के अनुरूप ही किया जायेगा तथा व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित करते हुये समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत धनराशि का अन्तरण दूसरे मद में नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा करना अति आवश्यक हो तो उसका औचित्य स्पष्ट करते हुये शासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।

भवदीय,

दयाराम
उप सचिव।

संख्या: 6/2026/966(1)ई-1/तेरह-2026, दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उ.प्र., जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

दयाराम
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in